

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

☎ & Fax No. 05965-230034

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 103 / 2 सी०

दिनांक :- 25 / 01 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत के धूनाघाट-भिगराड़ा-रीठासाहिब मोटर मार्ग के 7.0 से क्वीड़ागाँव (दुबड़) तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/19093/2016)

संदर्भ:- ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 13-12-2021

महोदय,

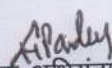
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के माध्यम से भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.04.2019 एवं 19.11.2018 जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 5 हे० M.D.F / V.D.F होना अवगत कराया गया था सिविल वृक्ष विहीन स्थल उपलब्ध न होने के कारण वन क्षेत्राधिकारी देवीधूरा के पत्रांक 226/12-1 दिनांक 07.10.2020 को अवनत वनभूमि मूलाकोट पुनौली कं० नं० 4 में स्थल उपलब्ध कराने पश्चात स्थल का वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करने उपरान्त आई०टी० सेल से मानचित्र प्राप्त कर विभिन्न स्तरों से प्रतिहस्ताक्षर करवाते हुए निम्नवत आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 01.01.2021 अपलोड किया जा चुका है। करते हुए 3 प्रति मूल में आपको इस कार्यालय के पत्रांक 457/2 सी० दिनांक 31.03.2021 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं, पुनः दिनांक 14.7.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नवत आख्या प्रेषित की जा रही है:-

The proposal is being reverted back through our official letter no. 415/12-1 Dated 28-07-2021 with the intent that it must be submitted back online to the office after complying with all the instructions given in the letter. Send 4 more hard copies of the answer to the objection, so that the matter can be sent to the higher level & direct the user agency to collect the returning letter for the proposal with the recommendation of CF North Kumaon and submit the hard copy at the Nodal Office.

जिसकी हार्ड 3 प्रति मूल में अपर प्रमुख वन संरक्षक देहरादून इस कार्यालय के पत्रांक 7/2 सी० दिनांक 01.01.2021 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त दिनांक 13.12.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्ताव पॉच-2 प्रतियों में पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत


अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत